246

संख्या– 78 /XV-1/15/1(12)/10

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 2। फरवरी, 2015

विषयः राज्य पशु चिकित्सा परिषद का गठन (50 प्र०के०स०) योजनान्तर्गत बजट अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3426/नि०–5/एक(2)/वै०काउ०/2014–15 दिनांक 26 नवम्बर, 2014 एवं पत्र संख्या–4277/नि०–5/एक(2)/वै०काउ०/2014–15 दिनांक 14 जनवरी, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य पशु चिकित्सा परिषद का गठन (50 प्र०के०स०) योजनान्तर्गत अनुदान सं० 30 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्रावधानित धनराशि **₹ 11.06 लाख (₹ ग्यारह लाख छः हजार मात्र)** व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न विवरणानुसार प्रादिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	मद नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	01–वेतन	1.20
2	03–महंगाई भत्ता	1.30
3	04–यात्रा भत्ता	0.01
4	06–अन्य भत्ते	0.24
5	08–कार्यालय व्यय	1.00
6	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00
7	15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आंदि की खरीद	0.50
8	18–प्रकाशन	0.50
9	19–विज्ञापन, बिक्री	0.50
10	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0.01
11	29–अनुरक्षण	1.60
12	42–अन्य व्यय	0.20
13	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.50
14	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.50
	योग	**11.06**

(1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फॉट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य –01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0110–राज्य पशु चिकित्सा परिषद का गठन (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित) योजनान्तर्गत सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–149(P)/XXVII-4/2015 दिनांक 19 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 78 (1)/XV-1/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव